

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित एक 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 43 अनुच्छेद सम्मिलित है। जिनमें ₹ 763.52 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

### I. सामान्य

वर्ष 2010-11 में ₹ 45,928.20 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 57,010.76 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 25,377.05 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 9,175.10 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 34,552.15 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 22,458.61 करोड़ (संच के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 14,977.05 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 7,481.56 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

2,628 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 5,958.95 करोड़ सन्निहित के 8,260 अनुच्छेद जून 2012 के अन्त तक बकाया थे। उपर्युक्त में से 922 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 438.63 करोड़ के 1,829 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.2.1)

वर्ष 2011-12 के दौरान की गई मापक जाँच में 47,716 प्रकरणों में ₹ 3,119.98 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 17,146 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 1,110.74 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1,013.90 करोड़ सन्निहित के 3,896 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा के आधार पर 8,789 प्रकरणों में ₹ 44.26 करोड़ वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.4.1)

### II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

'मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- 24 व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने बेलेन्मशीट, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं अन्य अभिलेखों को व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वेट विवरणियों के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों को सत्यापित नहीं किया। इसके पणामस्वरूप ₹ 8.67 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.8)

- चार प्रकरणों में माल की बिक्री को कार्य संविदा मानकर गलत वर्गीकरण करने एवं दो प्रकरणों में कर मुक्ति शुल्क के गलत आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- पांच व्यवहारियों के आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) के दावों की जांच करने पर पाया कि व्यवहारी या तो आई.टी.सी. के हकदार नहीं थे या उनके द्वारा हकदारी में अधिक आई.टी.सी. के दावे किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ की आई.टी.सी. अधिक स्वीकृत की गई और ₹ 53.22 लाख का ब्याज भी आरोपणीय था।

(अनुच्छेद 2.9.11)

- विभिन्न कर मुक्ति/आस्थगन योजनाओं के अन्तर्गत वेट आस्थगन की गलत गणना, मांग कायम नहीं करने और अनुदान की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 13.37 करोड़ का अधिक आस्थगन हुआ।

(अनुच्छेद 2.9.12.1 से 2.9.12.3)

- केन्द्रीय बिक्री कर नियमों के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा प्रपत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 16 प्रकरणों में ₹ 46.74 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट दी गई।

(अनुच्छेद 2.9.13.1)

- विभाग में ऐसी कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सत्यापन हो सके कि व्यवहारी द्वारा जिस उद्देश्य के लिये माल क्रय किया गया, उसी हेतु उसका उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, घोषणा पत्रों या प्रमाण-पत्रों के गलत उपयोग के मामलों में शास्ति लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। व्यवहारी को वैयक्तिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिये अधिसूचनाओं के नियमों एवं शर्तों में बार-बार छूट दिया जाना पाया गया।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- सात वृत्तों के 25 व्यवहारियों के मामलों में वेट विवरणियाँ प्रस्तुत करने और वेट राशि जमा कराने में विलम्ब हुआ, यद्यपि, ₹ 18.09 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.9.16)

निर्धारण अधिकारियों द्वारा छः प्रकरणों में निर्धारणों को अन्तिम रूप देने में की गई गलतियों के कारण करयोग्य टर्नओवर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 38.05 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.54 करोड़ की कर देयता थी।

(अनुच्छेद 2.11.1)

सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों, ईट भट्टा मालिकों, पेट्रोलियम व्यवहारियों एवं टेन्ट व्यवहारियों को प्रशमन योजना की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप 23 प्रकरणों में ₹ 1.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.11.3)

राज्य के बाहर से व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये माल क्रय किया, जिस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.66 लाख ब्याज सहित ₹ 61.52 लाख के कर की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.11.4)

निर्धारण अधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 2.92 करोड़ के कर एवं ₹ 1.07 करोड़ के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.11.5)

### III. मोटर वाहनों पर कर

अप्रैल 2007 से मार्च 2011 की अवधि हेतु 5,052 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर व विशेष पथ कर ₹ 14.99 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.10.1)

172 वाहनों द्वारा एकमुश्त कर ₹ 66.92 लाख का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप राजस्व की कम/अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.10.2)

अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त 1,100 आवेदन पत्र की जांच में 469 में कमियाँ जैसे कि अनिवार्य सूचना का अभाव, प्रार्थी के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र होना इत्यादि का पता चला।

(अनुच्छेद 3.11.2)

‘इन हाउस’ सॉफ्टवेयर में विद्यमान अनुज्ञापत्रधारियों को, उनके द्वारा विभिन्न वर्गों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करने पर, शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र परीक्षा से छूट देने हेतु संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। उप कार्यालयों में स्पर्श स्क्रीन मशीन स्थापित नहीं की गई थी तथा प्रारम्भिक परीक्षा मानवीय तौर पर ली गई थी।

(अनुच्छेद 3.11.3.1)

‘मारथी’ और ‘इन हाउस’ सॉफ्टवेयर में ऐसे अनुज्ञापत्रधारियों, जिन्होंने कोई उल्लंघन किया था, की सूचना रखने का कोई प्रावधान नहीं था मानवीय ऐसे उल्लंघनों पर निगरानी हेतु कोई पंजिका का संधारण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.11.4)

विभाग के कई कार्यालयों में आवेदकों के लिये आधारभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, छाया, सुविधायें और बैठने की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी।

(अनुच्छेद 3.11.7)

#### IV. भू-राजस्व

पूर्व संशोधित नियमों को लागू करने के कारण ₹ 5.05 करोड़ की भूमि ₹ 0.56 करोड़ में आवंटित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.49 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

##### (अनुच्छेद 4.9.1 (i))

राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन के लिए राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 को संशोधित नहीं किये जाने के जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति का अभाव रहा।

##### (अनुच्छेद 4.9.1 (ii))

वायु सेना तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कब्जेशुदा भूमि के नियमन हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप भूमि की लागत ₹ 487.58 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रकरणों में भूमि की लागत ₹ 3.19 करोड़ वसूल नहीं की गई।

##### (अनुच्छेद 4.9.2)

खातेदारी भूमि को आवासीय/शैक्षणिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर कंपनियों/व्यक्तियों/संस्थानों से भूमि के रूपांतरण प्रभारों तथा शास्ति की राशि ₹ 1.28 करोड़ वसूल नहीं की गई।

##### (अनुच्छेद 4.12)

नगर विकास न्यास द्वारा भूमि कर तथा ब्याज के राजकीय अंश ₹ 5.44 करोड़ को राजकीय खाते में जमा नहीं करवाया गया।

##### (अनुच्छेद 4.13.3)

#### V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

विकास अनुबंध के अपंजीयन/गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के ₹ 1.27 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

##### (अनुच्छेद 5.11)

भू-रूपांतरण के तथ्यों को छुपाये जाने के कारण सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन तथा भूमि के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के ₹ 2.20 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

##### (अनुच्छेद 5.13)

ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेंट के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर ₹ 49.45 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

##### (अनुच्छेद 5.15)

## VI. राज्य आबकारी शुल्क

वर्ष 2009-10 और 2010-11 में 12,759 अनुज्ञाधारी चिरे डोडा पोस्त के कृषकों द्वारा घोषणा पत्र जमा नहीं कराये गये थे। विभाग द्वारा इन घोषणा पत्रों को एकत्रित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.8.5)

आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत चिरे डोडा पोस्त की अनुपलब्धता के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अपूर्ण व असंगत थी।

(अनुच्छेद 6.8.6)

घोषणा पत्रों का संग्रहण विभाग के स्थान पर उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी द्वारा किया गया। आगे विभाग द्वारा पत्रों का कोई सत्यापन नहीं किया गया और अपूर्ण व सन्देहास्पद घोषणा पत्रों को स्वीकार कर लिया गया।

(अनुच्छेद 6.8.7 और 6.8.8)

विभाग द्वारा थोक अनुज्ञाधारियों को 11,760 कि.ग्रा. बिना चिरे डोडा पोस्त हेतु परमिट नियमों व अनुज्ञापत्र जारी करने की शर्तों के विरुद्ध जारी किया गया था।

(अनुच्छेद 6.8.10)

अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2009-11 में ₹ 228.89 करोड़ अनुज्ञाशुल्क, क्रय मूल्य, आबकारी शुल्क, वेट आदि पर व्यय किये गये थे जहाँ अनुज्ञाधारियों द्वारा चिरे डोडा पोस्त के विक्रय से कुल ₹ 184.22 करोड़ प्राप्त किये गये थे परिणामस्वरूप ₹ 44.67 करोड़ का स्पष्ट घाटा था। जिसे सरकार को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 6.8.12)

विभाग द्वारा 2,131 व्यसनियों के परमितों का वर्ष 2009-11 में तीन से बीस वर्ष की अवधि के बाद नवीनीकरण किया गया जबकि नियमों में एक वर्ष की समाप्त अवधि के पश्चात् नवीनीकरण का प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 6.8.15)

चिरे डोडा पोस्त के 339 व्यसनी एक माह में जोधपुर स्थित एक निजी नशा मुक्ति केन्द्र (मैसर्स राजस्थान फार्मैसिया) में पंजीकरण किये गये थे जिनके पास राज्य आबकारी विभाग का परमिट नहीं था जो यह दर्शाता है कि काफी मात्रा में चिरे डोडा पोस्त के व्यसनी बिना परमिट के राज्य में है।

(अनुच्छेद 6.8.23.2)

विभाग द्वारा होटल बार अनुज्ञापत्रों पर अनुज्ञाफीस का आरोपण 'हेरिटेज होटल' के रूप में भारत सरकार से 'हेरिटेज होटल' का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किया गया। बिना सत्यापन के तदर्थ अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 63.00 लाख की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.10.1(i))

## VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

### खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

भवन निर्माण सामग्री के रूप में चुना पत्थर के 28 खनन पट्टे स्वीकृत किए गये। लेकिन पट्टेधारियों द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए खनिज को सीमेंट फैंकट्री तथा स्टील प्लान्टों को निर्गमित किया गया। यद्यपि, वसूली योग्य खनिज की कीमत ₹ 240.29 करोड़ थी, जिसकी वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.7.1)

17 प्रकरणों में अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का अवैध उत्खनन एवं निर्गमन करने पर खनिज की कीमत व अधिशुल्क के ₹ 80.76 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.7.2.1)

पट्टेधारियों द्वारा चूना पत्थर को क्रेशर में गिट्टी बनाने के दौरान खराब बताए गए 43,81,258 मै.टन चूना पत्थर पर देय ₹ 23.42 करोड़ के अधिशुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.7.3)

388 ठेकेदारों द्वारा अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना या अल्पावधि अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक का उत्खनन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.82 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.7.4)

यह देखा गया कि 49 ईट भट्टे मालिकों द्वारा अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना ईट-मिट्टी को अवैध रूप से उपयोग में लेने पर खनिज की कीमत एवं अधिशुल्क के ₹ 3.94 करोड़ वसूल नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 7.7.8.1)

अनाधिकृत रूप से खनिज जिप्सम ले जा रहे 193 वाहन स्वामियों से खनिजों की कीमत तथा अधिशुल्क सहित प्रशामन शुल्क के ₹ 48.25 लाख की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.7.10)